पत्रांक: H-13012/9/2021-PC DIVISION
भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली - 110049

दिनांक: 01.12.2021

सेवा में,

श्री आलोक कुमार मलिक,
अध्यक्ष,
संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,
देवगढ़, झारखंड।

संदर्भः माननीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को दिनांक 19.11.2021 का पत्र।

महोदय,

देवघर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये की सब्सिडी और शहर में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी सह अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अनुरोध करने वाले उपरोक्त पत्र का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

इस संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है, बल्कि केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला योजना प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं जैसे - (i) मेगा फूड पार्क; (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना; (iii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/ विस्तार; (iv) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना; (v) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन; (vi) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; (vii) मानव संसाधन और संस्थान; (viii) ऑपरेशन ग्रीन्स के साथ संचालित कर रहा है । इन घटक योजनाओं के तहत, मंत्रालय ज्यादातर व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), उद्यमियों, सहकारी समितियों, समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), फूड पार्क, खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योग आदि की स्थापना के लिए निजी कंपनियों और केंद्र/राज्य के

सार्वजनिक उपक्रमों आदि को सहायता अनुदान के रूप में क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है। सब्सिडी की दर पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक होती है, जो परियोजनाओं के प्रकार और उसके स्थान के आधार पर 50 करोड़ रुपये तक हो सकती है (घटक योजनाओं में प्रदान किए गए अनुदान का विवरण **अनुबंध- 1** में सुलभ संदर्भ के लिए दिया गया है)। पात्र आवेदक को वित्तीय सहायता योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रति प्रदान की जाती है। 15वें वित्त वर्ष (2021-22 से 2025-26) के दौरान पीएमकेएसवाई को जारी रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसके अनुमोदन के बाद योजनाओं के अंतर्गत आवेदनों के लिए नए ईओआई जारी किए जाने की संभावना है।

साथ ही आत्मानिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में मंत्रालय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना का" कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाती है। योजना के लाभ और आवश्यकताएं अनुबंध -2 में दी गई हैं।

इन सभी योजनाओं का अधिक विवरण मंत्रालय की वेबसाइट (https://mofpi.nic.in/) पर उपलब्ध है और यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित ऑनलाइन योजना पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत उपलब्ध लाभों का लाभ उठाने के लिए क्षेत्र के उद्यमियों को प्रभावित किया जा सकता है।

आपका,

जितेन्द्र

(जितेंद्र कुमार)

निदेशक,

दूरभाष नं. 011-26496647

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

माननीय राज्य मंत्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव

अनुबंध -I

1. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

क्र.स.	घटक योजना	योजना के लाभ और आवश्यकताएं (सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए)			योजना लाभ और आवश्यकताएं(एनईआर, दुर्गम क्षेत्रों, आईटीडीपी और द्वीपों में परियोजनाओं के लिए और एससी/एसटी प्रमोटरों के लिए)		
		प्रस्तावित अनुदान-सहायता	प्रमोटर इक्विटी	ऋण	प्रस्तावित अनुदान-सहायता	प्रमोटर इक्विटी	ऋण
1.	एकीकृत शीत श्रंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत का 40 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अधीन]	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान-सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अधीन]	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%
2.	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन /विस्तार	पात्र परियोजना लागत का 35 % की दर से अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अधीन]	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान-सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अधीन]	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अधीन]	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	पात्र परियोजना का 50% की दर से अनुदान [प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये के अधिकतम के अधीन]	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%
4.	खाद्य सुरक्षा और गुणवता अवसंरचना - खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला	केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों के लिए-उपकरण लागत का 100%, तकनीकी सिविल वर्क का 25% और 2 जेआरएफ स्टाफ के लिए 80% वेतन की दर से सहायता में अनुदान; अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए - उपकरण लागत का 50%, तकनीकी सिविल कार्य का 25% की दर से सहायता अनुदान।	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों के लिए-सामान्य क्षेत्रों की तरह ही; अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए -उपकरण लागत के 70% की दर से सहायता में अनुदान, तकनीकी सिविल कार्य का 33%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%

5.	मानव संसाधन और संस्थान - अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों के 100 प्रतिशत की दर से अनुदान, जेआरएफ/एसआरएफ/आरए, टीए/डीए (1.00 लाख तक) के लिए वेतन और संस्थागत शुल्क (गैर-शैक्षणिक संस्थानों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये और अकादमिक संस्थानों के लिए 5 लाख रुपये) की अवधि के लिए अधिकतम तीन साल के लिए। निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत के 50 प्रतिशत की दर से अनुदान।	लागू नहीं	लागू नहीं	सरकारी संगठनों के लिए -सामान्य क्षेत्रों के समान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए, उपकरण लागत के 70% की दर से अनुदान।	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	ऑपरेशन ग्रीन्स	अनुदान-सहायता अधिकतम 50 % की दर से पात्र परियोजना लागत की दर से 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के लिए दीर्घकालिक अवसंरचना निर्माण घटक के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपये और परिवहन की लागत का अधिकतम 50% की दर से सब्सिडी और अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण उपायों के लिए अधिसूचित एफएंडवी के भंडारण।	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 20%	दीर्घावधि अवसंरचना निर्माण घटक के लिए पात्र परियोजना लागत के एफपीओ/एससी/एसटी के लिए 70% की दर से अधिकतम अनुदान सहायता जो प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक है और अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण उपायों के लिए अधिसूचित एफ एंड वी के परिवहन और/अथवा भंडारण की लागत का अधिकतम 50% सब्सिडी।	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%

<u>अनुबंध -II</u>

<u>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)</u>

योजना	योजना के लाभ और आवश्यकताएं (सामान्य क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों के लिए)			योजना लाभ और आवश्यकताएं (एनईआर, दुर्गम क्षेत्रों, आईटीडीपी और द्वीपों में व्यक्तिगत सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों के लिए और एससी/एसटी प्रमोटरों के लिए)		
	अनुदान-सहायता	**प्रमोटर इक्विटी**	**ऋण**	**अनुदान-सहायता**	**प्रमोटर इक्विटी**	**ऋण**
पीएमएफएमई (व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमो को सहायता)	पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता [अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति यूनिट के अधीन]	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%	लागू नहीं	पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता [अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति यूनिट के अधीन]	कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%	लागू नहीं
पीएमएफएमई (समूह आवेदन के लिए सहायता)	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान-सहायता [ऐसे मामलों में अनुदान की अधिकतम सीमा जैसा कि निर्धारित की तरह होगी]	लागू नहीं	लागू नहीं	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान-सहायता [ऐसे मामलों में अनुदान की अधिकतम सीमा जैसा कि निर्धारित की तरह होगी]	लागू नहीं	लागू नहीं